एस्सार टेली होल्डिंग्स लिमिटेड

बनाम

रजिस्ट्रार जनरल,दिल्ली उच्च न्यायालय, व अन्य

(रिट याचिका (सिविल) संख्या 57 वर्ष 2012, व अन्य)

जुलाई 01, 2013

(जी.एस. सिंघवी तथा सुधांशु ज्योति मुख्योपाध्याय,न्यायाधिपतिगण)

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988:

धारा 3(1) सपठित धारा 4(3) और धारा 22- 2 जी स्पेक्ट्रम मामला - विशेष न्यायाधीश का नामांकन- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में दण्डनीय अपराधों के लिये दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में, सी.बी.आई. द्वारा, धारा 420/120 बी भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों के लिये प्रस्तुत द्वितीय पूरक आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लेने का विशेष न्यायालय का क्षैत्राधिकार- अवधारितः अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध के अलावा,उसमें विनिर्दिष्ट अपराधों को कारित करने के षडयंत्र, प्रयास अथवा दुष्प्रेरण का भी विशेष न्यायाधीश विचारण कर सकता है। द्वितीय आरोप पत्र से स्पष्ट हैं कि याचीगण 2 जी घोटाला प्रकरण के सह अभियुक्त हैं। इस तरह, धारा 220 दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू होगी और याचीगण, भिन्न

अपराधों जो धारा 420/120बी भारतीय दण्ड संहिता के है और 2 जी स्पेक्ट्रम संव्यवहारों में कथित रूप से घटित हुए, उन हेतु, 2 जी घोटाला प्रकरण के अन्य सह अभियुक्तों के साथ धारा 223 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन आरोपित और विचारित किये जा सकते है।

धारा-3(1)-2 जी स्पेक्ट्रम मामला - विशेष न्यायाधीश का नामांकन- अवधारितः राजपत्र में अधिसूचना द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार, अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराधों के विचारण के लिये जितने आवश्यक हो तथा अधिसूचना में उल्लेखित हो, उतने विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर सकती है- मौजूदा मामलें में चूंकि सह अभियुक्त भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आरोपित किये जा चुके है इसलिए, दिल्ली के एन.सी.टी. के यह भलीभांति क्षैत्राधिकार में है कि विशेष न्यायाधीश(शों) की नियुक्ति की अधिसूचना(एं) 2 जी घोटाला प्रकरण के विचारण के लिये जारी करें। अनुच्छेद 233 व 234 देखते हुए उच्च न्यायालय के यह भलीभांति क्षैत्राधिकार में है कि धारा 3 की उप धारा (1) के तहत विशेष न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति आैर पदस्थापन के लिये जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारी(यों) को नाम निर्दिष्ट करें।- भारत का संविधान 1950- अनुच्छेद 233 व 234

सी.ए.संख्या 1066 वर्ष 2010 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक

10.02.2011 को पारित आदेश के अनुसरण में और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के एक अधिकारी को,2 जी घोटाला मामलों के विचारण के लिये नामित करने के परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1) में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एन.सी.टी. दिल्ली की सरकार ने दिनांक 28.03.2011 को अधिसूचना जारी करते हुए,सम्बन्धित अधिकारी को, 2 जी स्पेक्ट्रम से जुडे सभी मामलों के सम्बन्ध में विचारण के लिये अनन्यतः विशेष न्यायाधीश पदाभिधान किया। दिनांक 21.12.2011 के आदेश द्वारा विशेष न्यायाधीश ने, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 21.10.2009 में, धारा 420/120बी भारतीय दण्ड संहिता में दण्डनीय अपराधों के कथित तौर पर कारित किये जाने विषयक द्वितीय पूरक आरोप पत्र पर, जो कि सी.बी.आई. ने याचीगण और अन्य अभियुक्तो के विरूद्ध पेश किया था,प्रसंज्ञान लिया और याचीगण तथा अन्य अभियुक्तों को सम्मन से आहूत करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 15.03.2011 के प्रशासनिक आदेश और एन.सी.टी. दिल्ली की सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28.03.2011 को चुनौति देते हुए याचीगण ने यह रिट याचिका पेश की।

न्यायालय ने रिट याचिकाएं खारिज करते हुए अभिनिर्धारित कियाः

1.1 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 4 से सपठित धारा 3 स्पष्ट आदिष्ट करती हैं कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में दण्डनीय

अपराधों के अलावा, तद्धीन विनिर्दिष्ट अपराधों को कारित करने के षडयंत्र, प्रयास या दुष्प्रेरण भी विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारित किये जा सकते हैं। धारा 4 की उपधारा (3) विशिष्ठतः कहती है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जिसका भी आरोप उसी विचारण में लगाया जा सकता हो वैसे, धारा-3 में उल्लेखित के अलावा अन्य अपराधों का विचारण भी विशेष न्यायाधीश द्वारा, उस विचारण में किया जा सकता है। कतिपय उपान्तरणों के अध्यधीन दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 22 को देखते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के विचारण में भी लागू होते हैं।(पैरा 17,18)

1.2 प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या RC DAI 2009 A 0045 दिनांक-21.10.2009 में द्वितीय पूरक आरोप पत्र दिनांकित 12.12.2011 प्रस्तुत हुआ। इस द्वितीय पूरक आरोप पत्र से स्पष्ट है कि 2 जी घोटाला मामलों के दौरान याचीगण द्वारा अपराध कारित करना अभिकथित है, इस प्रकार उन्हें 2 जी घोटाला मामले का अभियुक्त बनाया गया है। (पैरा 21)

1.3. 2 जी घोटाला प्रकरण के सह अभियुक्तों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आरोप हैं, जिनका विचारण अनन्यतः केवल विशेष न्यायाधीश कर सकता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1) में वर्णित अपराध आैर उसके षडयंत्र का प्रसंज्ञान केवल विशेष न्यायाधीश ही ले सकता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा- 3(1)

में वर्णित अपराध का प्रसंज्ञान एक मजिस्ट्रेट नहीं ले सकता है। याचीगण उक्त 2 जी घोटाला प्रकरण में सह अभियुक्त है। इस पृष्ठभूमि में धारा- 220 दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू होगी आैर यद्यपि याचीगण अन्य अपराधों यथा अन्तर्गत धारा 420/120बी भारतीय दण्ड संहिता, जो 2 जी स्पेक्ट्रम संव्यवहारों, के दौरान कारित होना कथित है, सम्बन्धित है, फिर भी धारा- 223 दण्ड प्रक्रिया संहिता में उन पर आरोप लगाकर 2 जी घोटाला मामले के अन्य सहअभियुक्तों के साथ उनका विचारण किया जा सकता है। (पैरा 21 व 25)

विवेक गुप्ता बनाम सी.बी.आई. 2003 (3) सप्लीमेट्री सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स 1087= (2003)8 एस.सी.सी. 628 पर विश्वास किया।

ए.आर. अंतुले बनाम रामदास श्रीनिवास नायक 1984(2) सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स 914=(1984)2 एस.सी.सी. 500; गांगुल अशोक बनाम ए.पी.राज्य 2000 (1) एस.सी.आर. 468=(2000) 2 एस.सी.सी. 504 सन्दर्भित।

2.1 दिल्ली की एन.सी.टी. द्वारा दिनांक 28.03.2011 को जारी अधिसूचना और दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक- 15.03.2011 के प्रशासनिक आदेश के बारे में न्यायालय ने निम्नानुसार तय पायाः अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराधों के विचारण के लिये राज्य सरकार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-3 उपधारा (1) के तहत राजपत्र में अधिसूचना जारी करके उतने विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर सकती है

जितने उस क्षैत्र हेतु या प्रकरण अथवा प्रकरणों के समूह के लिये आवश्यक हो और अधिसूचना में उल्लेखित हो। मौजूदा मामले में चूंकि सह अभियुक्त भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आरोपित है इसलिए दिल्ली की एन.सी.टी. की सरकार के क्षैत्राधिकार में यह भलीभांति हैं कि विशेष न्यायाधीश (गण) की नियुक्ति अधिसूचना (एं) 2 जी घोटाला प्रकरण के विचारण के लिये जारी करें।

(ii) जिन मामलों में विशेष न्यायाधीश के तौर पर व्यक्ति की नियुक्ति या किसी विशेष न्यायालय में उनके पदस्थापन का सवाल अन्तर्वलित हो, उनमें संविधान के अनुच्छेद 233 व 234 आकृष्ट हाेते है। राज्य के जिला न्यायाधीश पद पर नियुक्ति, पदोन्नति व पदस्थापन की शक्ति राज्यपाल में निहित है जो अनुच्छेद 233 के तहत केवल उच्च न्यायालय के परामर्श से ही प्रयोग में लायी जा सकती है। इसलिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति व पदस्थापन के लिये जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारी (यों) को नामांकित करना उच्च न्यायालय के क्षैत्राधिकार में भली प्रकार आता है।

(iii) याचीगण ने मौजूदा मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एन.सी.टी. दिल्ली को किये गये नामांकन को चुनौति नहीं दी है। उन्होने दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दिनांक- 15.03.2011 को सम्बन्धित जिला न्यायाधीशों को लिखे गये उस पत्र को चुनौति दी है,

जिसमें दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के एक अधिकारी की 2 जी घोटाला मामलों के विशेष न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिये नामांकित किये जाने की सूचना दी गई है। (पैरा 26)

हाईकोर्ट ऑफ ज्यूडिकेचर फॉर राजस्थान बनाम रमेशचन्द्र पालीवाल 1998 (1) सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स 961=(1998) 3 एस.सी.सी. 72 और रजिस्ट्रार (प्रशासन) उडीसा हाईकोर्ट बनाम शिशिरकांत सतपथी 1999 (2) सप्लीमेंट्री सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स 473=(1999) 7 एस.सी.सी. 725 सन्दर्भित।

2.2 अभियोजन के ऋजु संचालन के हित में इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 136 सपठित अनुच्छेद 142 के तहत दिनांक 11.04.2011 वाला आदेश पारित किया था। "रूपा अस्भोक हुर्रा" में तय हो चुका है कि व्यथित व्यक्ति चाहे मामले का पक्षकार रहा हो या नहीं रहा हो, इस न्यायालय के द्वारा पारित किसी अन्तिम निर्णय या आदेश को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अर्जी द्वारा चुनौति नहीं दे सकता है। इस दृष्टि से भी याची के लिये अपरोक्ष रूप से 2 जी प्रकरण में पारित आदेश को चुनौति देना अनुमेय नहीं है। याचीगण के विरूद्ध अपराध के प्रसंज्ञान विषयक आदेश में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। (पैरा 27 से 29) *रूपा अस्भोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा व अन्य 2002(2) सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स 1006=(2002)4 एस.सी.सी. 388 पर विश्वास किया। सी.बी.आई. बनाम*

केशब महिन्द्रा 2011(6) एस.सी.आर. 384=(2011) 6 सुप्रीम कोर्ट केस 216; ए.आर. अंतुले बनाम रामदास श्रीनिवास नायक 1988 (1) सप्लीमेट्री सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स 1=(1988)2 सुप्रीम कोर्ट कैस 6023 उल्लेखित

कानून विधि सन्दर्भः

2011(6) एस.सी.आर 384	उल्लेखित	पैरा14
1988(1) सप्लीमेन्ट्री एस.सी.आर.1	उल्लेखित	पैरा14
1984(2) एस.सी.आर. 914	सन्दर्भित	पैरा22
2000(1) एस.सी.आर. 468	सन्दर्भित	पैरा23
2003(3) सप्लीमेन्ट्री एस.सी.आर. 1087	विश्वास किया	पैरा24
1999 (2) सप्लीमेन्ट्री एस.सी.आर 473	सन्दर्भित	पैरा26
1998(1) एस.सी.आर. 961	सन्दर्भित	पैरा26
2002(2) एस.सी.आर.1006	विश्वास किया	पैरा 29

दीवानी अपीलीय क्षैत्राधिकारः वर्ष 2012 की रिट याचिका (सिविल)संख्या 57

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन

साथ में

रिट याचिका (दीवानी) संख्या 59 और 96 वर्ष 2012

ई.सी. अग्रवाल, सिद्वार्थ सिंगला, गरिमा प्रसाद याची की ओर से

प्रशान्त भूषण, अन्नम डी.एन.राव, बी.वी बलरामदास प्रत्यर्थीगण के लिये

न्यायालय का निर्णय सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय, न्यायाधिपति द्वारा पारित किया गया-

1. याचीगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लेने के विशेष न्यायाधीश, केन्द्रीय जांच ब्यूरो नई दिल्ली के दिनांक 21 दिसंबर 2011 के आदेश से व्यथित होकर ये रिट याचिकाएं पेश की गई, जिनमें दिनांक 21.12.2011 के उक्त आदेश को, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.03.2011 को पारित प्रशासनिक आदेश को तथा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संक्षेप में दिल्ली की एनसीटी) की सरकार द्वारा दिनांक 28.03.2011 को जारी उस अधिसूचना को चुनौति दी गई है, जिसके द्वारा 2 जी स्पेक्ट्रम मामलें (साधरणतया 2 जी घोटाला प्रकरण के रूप में ख्यात) से सम्बन्धित सभी मुकदमों की अनन्यतः सुनवाई करने के लिये विशेष न्यायाधीश के रूप में श्री ओमप्रकाश सैनी को पदाभिहित किया गया था। इनमें एक रिट याचिका

वैयक्तिक रूप से और अन्य दो रिट याचिकाएं दो कंपनियों द्वारा पेश की गई, जो सब 2 जी घोटाला प्रकरण में अभियुक्त है।

2.मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं -

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने वर्ष 2008 में दी गई यू.ए.एस. अनुज्ञाओं के अनुसरण में आई विभिन्न शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए प्राथमिक जांच करने के उपरांत मामले का अनुसंधान केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौपा, जिसमें आरम्भिक अनुसंधानोपरांत 21.10.2009 को, जनवरी 2008 के दौरान यू.ए.एस. अनुज्ञाओं के वितरण में आपराधिक दुराचरण और आपराधिक षड़यंत्र द्वारा सरकार को सदोष हानि कारित करने के विषय में दूरसंचार विभाग के अज्ञात अधिकारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों/कंपनियों व अन्य के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट RC DAI 2009 A 0045 दर्ज की गई। इसके बाद रिट याचिका (सिविल) संख्या 3522 वर्ष 2010 मे दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वादकरण, अन्य के साथ यह कहते हुए पेश हुआ कि दिनांक 21.10.2009 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में अनुसंधान नहीं किया जा रहा है तथा प्रार्थना की गई कि सी.बी.आई. को उसमें अनुसंधान करने का निर्देश दिया जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.05.2010 को उक्त रिट याचिका खारिज की गई।

3. उस मामलें के याची "सेन्टर फॉर पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेशन"

(संक्षेप मे "सीपीआईएल") ने खारिजी के आदेश के विरूद्ध अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 24873 वर्ष 2010 पेश की, जिसमें इस न्यायालय ने दिनांक 16.12.2010 को अनुमति प्रदान की (सी.ए.संख्या 10660 वर्ष 2010) और अनुसंधान के पर्यवेक्षण का निर्णय लिया [(2010) 1 SCC 560 में रिपोर्ट हुआ]

4. दिनांक 10.02.2011 के आदेश में इस न्यायालय ने उक्त केस में यह संकेत दिया कि 2 जी स्पेक्ट्रम से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिये एक प्रथक विशेष न्यायालय स्थापित किया जाना चाहिए। उक्त आदेश का वह हिस्सा नीचे उद्धृत किया जा रहा है:

> "विद्वान अटॉर्नी जनरल को हम यह भी सुझाते हैं कि 2 जी स्पेक्ट्रम से संबंधित मामलों के विचारण के लिये एक पृथक विशेष न्यायालय स्थापित किया जाना चाहिए। विद्वान अटॉर्नी जनरल ने इस पर यह कहते हुए उत्तर दिया कि संबंधित प्राधिकारियों से मशविरा करके इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिये उसे दो सप्ताह का समय दिया जाए।"

5. उपरोक्त कथित टिप्पणी के अनुसरण में दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 जी घोटाला मामलों की अनन्यतः सुनवाई करने के लिये श्री ओ.पी. सैनी को विशेष न्यायाधीश के रूप मे नामित करने का आक्षेपित प्रशासनिक आदेश दिनांक 15.03.2011 को जारी किया।

6. दिनांक 16.03.2011 को इस न्यायालय ने एक अन्य आदेश, अन्य के अलावा यह निर्देश देते हुए पारित किया:

> "सुनवाई के आरंभ में न्यायालय के समक्ष विद्वान अटार्नी जनरल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दिनांक 14.03.2011 को उन्हें भेजा गया वह पत्र पेश किया, जिसमें वर्तमान में विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) (सी.बी.आई.)-2 नई दिल्ली पटियाला भवन, न्यायालय परिसर पद पर कार्यरत दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के एक अधिकारी श्री ओ पी सैनी को उन सब मामलात का विचारण, जिनको 2 जी घोटाला के रूप में वर्णित किया जा रहा है, अनन्यतः करने के लिये विशेष न्यायाधीश नामित करने के दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना दी गई थी।
>
> विद्वान अटार्नी जनरल ने जताया कि वे सुनिश्चित करेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3(1) और धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 43(1) के अनुरूप दो प्रथक अधिसूचनाएं जारी की जाकर 2 जी घोटाला और उससे संबंधित अपराधों के विचारण के लिये अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित की

जायगी। विद्वान अटार्नी जनरल ने निवेदन किया कि समुचित अधिसूचनाएं दिनांक 29.03.2011 को या इसके पूर्व जारी कर दी जायगी।"

7. उपरोक्त आदेश के अनुसरण में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संक्षेप के लिये भ्र.नि.अ.) की धारा 3(1) के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एन.सी.टी. दिल्ली की सरकार ने 2 जी घोटाला से संबंधित सभी मामलों के विचारण हेतु अनन्यतः श्री ओमप्रकाश सैनी को विशेष न्यायाधीश के रूप में पदनामित करते हुए दिनांक 28.03.2011 को अधिसूचना जारी की।

8. तत्पश्चात दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने प्रशासनिक पक्ष में दिनांक 01.04.2011 को आवंटन सूची जारी कर तद्द्वारा 2 जी घोटाला सें संबंधित सभी मामलों के अनन्यतः विचारण के लिये नवगठित न्यायालय मे विशेष न्यायाधीश के तौर पर श्री ओमप्रकाश सैनी को नामित किया।

9. आरंभ में दिनांक 02.04.2011 को सी.बी.आई. ने नौ अभियुक्तों के विरूद्व आरोप पत्र पेश किया और फिर कुछ आैर अभियुक्तों के विरूद्ध दिनांक 25.04.2011 को पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत किया। किसी भी आरोप पत्र में किसी भी याची पर कोई आक्षेप नहीं लगाये थे अतः उन्हें बतौर अभियुक्त नहीं दर्शाया था।

10. विद्वान विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त करते हुए इस न्यायालय ने 2 जी घोटाला मामलें में दिनांक 11.04.2011 के आदेश द्वारा ऐसा कहाः

> ''हम यह भी स्पष्ट करते है कि विशेष लोक अभियोजक या उसके सहयोगी अधिवक्ता की नियुक्ति पर आपत्ति या स्थगन की अथवा विचारण की प्रगति में अवरोध की प्रार्थना केवल इसी न्यायालय के समक्ष की जा सकेगी, कोई अन्य न्यायालय इसे ग्रहण नहीं करेगा। विचारण दिन प्रतिदिन आधार पर आगे चलाया जावे।

11. तदुपरान्त सी.बी.आई. ने याचीगण के विरूद्व द्वितीय पूरक आरोप पत्र दिनांक 12.12.2011 को धारा 420/120 बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध कथित तौर पर कारित करने के बाबत पेश किया। द्वितीय पूरक आरोप पत्र में जोड़े गये याचीगण और अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किसी अपराध का आक्षेप नहीं है। विद्वान विशेष न्यायाधीश ने उसके आधार पर दिनांक 21.12.2011 के आक्षेपित आदेश द्वारा द्वितीय पूरक आरोप पत्र का प्रसंज्ञान लिया तथा याचीगण व अन्य को सम्मन किया।

12. याचीगण का कथन है कि दिनांक 12.12.2011 के आरोप पत्र में सी.बी.आई. स्वीकारती है कि यह "अलग अपराध बाबत" धारा 420/120 बी

भारतीय दण्ड संहिता के तहत पेश की जा रही है। उक्त आरोप पत्र के पेरा संख्या 73 व 74 में यह स्वीकारते हुए कि आरोप पत्र में वर्णित अपराध एक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, दिनांक 28.03.2011 की अधिसूचना के आधार पर विशेष न्यायाधीश से प्रसंज्ञान लेने का निवेदन किया है। आरोप पत्र के पैरा 73 व 74 निम्नवत पठित है:

"73. धारा 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत यह अंतिम रिपोर्ट प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या RC DAI 2009 A 0045 (2 जी स्पेक्ट्रम मामले) के अनुसंधान के दौरान सामने आए पृथक अपराध के बाबत् है और वह प्रथम सूचना रिपोर्ट माननीय विशेष न्यायाधीश (2 जी स्पेक्ट्रम मामलात) पटियाला हाउस न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष लंबित है, जिसमें पूर्व में दिनांक 02.04.2011 और 25.04.2011 को क्रमशः अंतिम रिपोर्ट और पूरक अंतिम रिपोर्ट पेश की जा चुकी है।

74. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में,एन.सी.टी. दिल्ली की सरकार द्वारा दिनांक 28.03.2011 को जारी अधिसूचना संख्या 06.05.2011-न्यायिक/363-367 के निबंधनानुसार, 2 जी घोटाले से जुड़े मामलात के संबंध में विचारण का अनन्य अधिकार इस

माननीय न्यायालय को ही प्रदत्त है, यद्यपि विचारण के लिये भेजे जा रहे अभियुक्तों द्वारा कथित रूप से कारित अपराध प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जाए अथवा जैसा ठीक समझे, उचित न्यायालय को अंतिम रिपोर्ट पृष्ठांकित करके भिजवाई जाये और तहां बाद अभियुक्तों की तलबी, उपस्थित होकर विधि के अनुसार विचारण भुगतने के लिये, जारी की जाए"

13. इसके पश्चात् दिनांक 21.12.2011 के आक्षेपित आदेश द्वारा विद्वान विशेष न्यायाधीश ने प्रसंज्ञान लिया। उक्त आक्षेपित आदेश का सुसंगत हिस्सा निम्नानुसार है:

"2.विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कथन है कि अभियुक्त पर जिन अपराधों को कारित करने का आरोप है, वे मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचारणीय है। आगे, यह भी कथन किया कि पूरक आरोप पत्र भी उक्त RC DAI 2009 A 0045/CBI/ACB/ND अनवानी सी.बी.आई. बनाम ए.राजा व अन्य से उद्भूत है, जो इस समय विचारण के लिये लंबित है। उनका आगे यह कथन भी हैं कि यह मामला भी चूंकि उसी प्रथम सूचना रिपोर्ट से उद्भूत हैं, इसलिए इसका केवल इसी न्यायालय द्वारा विचारण किया जाना चाहिए। मेरा ध्यान उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय

के इस आदेश की तरफ भी आकृष्ठ कराया जिसके द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को 2 जी घोटाला मामलात के विचारण के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनन्य विशेष न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है।

3. इस प्रकार इस द्वितीय पूरक आरोप पत्र का विचारण इस न्यायालय में होगा। दिनांक 15.03.2011 के आदेश की एक प्रति इस पत्रावली पर रखी जावे।"

14. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.03.2011 को पारित प्रशासनिक आदेश और एन.सी.टी. दिल्ली की सरकार द्वारा दिनांक 28.03.2011 को जारी अधिसूचना, जो आक्षेपित है, को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी:

(अ) आक्षेपित अधिसूचना दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों से परे विचरती है। दण्ड प्रक्रिया संहिता आदिष्ट करती है कि भारतीय दण्ड संहिता में जो अपराध है, उनका विचारण दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप किया जावेगा।

(ब) सी.बी.आई. बनाम केशब महिन्द्रा जो (2011) 6 SCC 2016 के रूप में प्रतिवेदित है, में अवधारित हुआ है कि "किसी न्यायालय का कोई निर्णय, जिसमें कि यह न्यायालय भी अपवर्जित नहीं है, इस रीति से नहीं पढ़ा जा सकता है जिसमें किसी अधिनियम या संहिता का कोई

अभिव्यक्त प्रावधान शून्य हो जाता हो।" इस तरह, अधिसूचना और प्रशासनिक आदेश विधि के स्थापित प्रावधानों से विपरित होने के कारण उस हद तक अपास्त किये जाने चाहिए जिसमें उनके द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराधों में न आने वाले मुद्दों के प्रसंज्ञान व विचारण का क्षेत्राधिकार भी विशेष न्यायाधीश को सौंपा गया है।

(स) यदि धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध, जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारित होना चाहिए, सत्र न्यायालय द्वारा विचारित होगा तो अभियुक्त के कई प्रकार के मूल्यवान अधिकार संकट में आ जायेंगे। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा *(1988) 2 सुप्रीम कोर्ट केस 602 के रूप में प्रतिवेदित ए.आर. अन्तुले बनाम आर.एस. नायक* में दिये हुए निर्णय के विपरित भी होगा जिसमें यह अभिस्वीकृत है कि अपील का अधिकार एक मूल्यवान अधिकार है जिससे वंचित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करना है।

15. श्री हरिन पी. रावल विद्वान अतिरिक्त सोलिसीटर, भारत ने सी.बी.आई. की तरफ से उपस्थित होकर निम्नलिखित तर्क रखें:

(अ) 2 जी घोटाला मामलों के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने का निर्देश देने वाला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश अनुच्छेद 136 और 142 के अनुसरण में उसे उपलब्ध शक्तियों में प्रदत्त था जिसमें स्पष्ट कर दिया था कि इस घोटाले से उद्भूत सभी मामलों का विचारण इस प्रकार

से स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

(ब) विशेष न्यायालय खोलने का दिल्ली उच्च न्यायालय का प्रशासनिक आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 194 में इसे उपलब्ध उन शक्तियों के अनुसरण में है जो उच्च न्यायालय को विशेष या सामान्य आदेश द्वारा एक अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश को कतिपय मामलात के विचारण का निर्देश देने के लिए सशक्त करती है। धारा 194 दण्ड प्रक्रिया संहिता निम्नानुसार हैः

> "194. अपर और सहायक सेशन न्यायाधीशों को हवाले किये गये मामलों पर उनके द्वारा विचारण - अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश ऐसे मामलों का विचारण करेगा जिन्हें विचारण के लिये उस खण्ड का सेशन न्यायाधीश साधारणतया विशेष आदेश द्वारा उसके हवाले करता है या जिनका विचारण करने के लिये उच्च न्यायालय विशेष आदेश द्वारा उसे निदेश देता है।"

(स) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 4(3) और धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 43(2) दोनों ही विशेष न्यायालय को दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन जिन अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जा सकता है उनके अन्य अपराधों के भी विचारण के लिए सशक्त करती है। इन्हीं सबको दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त के विरूद्व विशेष न्यायालय ने आरोप पत्र

पर जो प्रसंज्ञान लिया वह वैध है।

(द) जिस प्रथम सूचना प्रतिवेदन से उद्भूत पूर्ववर्ती आरोप पत्र पेश हुए और विशेष न्यायालय ने प्रसंज्ञान लिया, सी.बी.आई. द्वारा दर्ज उसी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या RC DAI 2009 A 0045 से ही वह द्वितीय पूरक आरोप पत्र उद्भूत हुआ है, जिसमेंं मौजूदा अभियुक्तों के विरूद्व अपराध बनना पाया है। एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से भिन्न भिन्न अपराधों में जो भिन्न भिन्न अभियुक्त संलिप्त मिलें उनका यदि दिखावटी आधारों पर भिन्न भिन्न न्यायालयों में विचारण हुआ, तो यह विषम विसंगत स्थिति हो जाएगी। कुछ के विरूद्व विशेष अधिनियम के तहत न होकर मात्र भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित अपराध का ही आरोप है, इस दिखावटी आधार पर इनका भिन्न न्यायालय में विचारण नहीं हो सकता।

(क) धारा 26 दण्ड प्रकिया संहिता देखते हुए अपराध का विचारण उच्चतर न्यायालय कर सकती है और यदि विशेष न्यायालय विचारण करता है, तो अभियुक्त को कोई हानि नहीं होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासनिक आदेश जारी करने और एन.सी.टी. दिल्ली की सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने से विद्वान विशेष न्यायालय धारा 26 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अन्यथा उपलब्ध शक्तियों और क्षैत्राधिकार से वंचित नहीं हो जाता है। यह धारा निम्नलिखित प्रकार से है-

"26. न्यायालय, जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है -

इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए,-

(क) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन किसी अपराध का विचारण-

(i) उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, या

(ii) सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, या

(iii) किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है :

(ख) किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण, जब उस विधि में इस निमित्त कोई न्यायालय उल्लिखित है, तब उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा और जब कोई न्यायालय इस प्रकार उल्लिखित नहीं है तब-

(i) उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, या

(ii) किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है।"

16. सी.पी.आई.एल. की तरफ से अधिवक्ता श्री प्रशान्त

भूषण ने कहा कि एक विशेष न्यायाधीश को यह शक्ति है कि भारतीय दंड संहिता के तहत जो अपराध है उनका विचारण करें और इस शक्ति को कोई चुनौति नहीं दी गई है। आगे निवेदन किया कि इस न्यायालय द्वारा 2 जी घोटाला मामले में पारित आदेश के मध्यनजर, याचीगण के लिये यह खुला नहीं हैं कि विचारण के लिये अन्य किसी न्यायालय के समक्ष जावे।

17. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 4 से सपठित धारा 3 के पढ़ने मात्र से यह स्पष्ट आदेश दिखता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में वर्णित अपराधों के अलावा उन अपराधों के प्रयास, दुष्प्रेरण या कारित करने के षडयंत्र के भी मामलों का विशेष न्यायालय विचारण कर सकता हैं। धारा 4 की उपधारा 3 यह भी कहती है कि किसी मामले के विचारण में, विशेष न्यायालय, धारा 3 में वर्णित से भिन्न उन अन्य भी अपराधों का विचारण कर सकती है जिनके लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्त उसी विचारण में आरोपित किया जा सकता हो। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 3 व 4 निम्नवत हैः

"धारा-3 विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार-

(1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार (राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए ऐसे मामलों या

मामलों के समूहों के लिए जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए जैसा यह आवश्यक समझे निम्नांकित अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर सकती है, अर्थात् :-

(क) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए, और

(ख) खंड (क) में विहित अपराधों के घटित करने के किसी षड्यंत्र, दुष्प्रेरण या प्रयास के लिए

(2) कोई व्यक्ति विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए तब तक अर्ह न होगा जब तक कि वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश, या सहायक सत्र न्यायाधीश न हो या न रह चुका हो ।

धारा-4 विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारण के प्रकरण -

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं.2) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकरणों का

विचारण विशेष न्यायाधीशों द्वारा ही किया जाएगा ।

(2) धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अपराध का विचारण उस क्षेत्र के लिए नियुक्त या उस अपराध के विचारण के लिए नियुक्त या यथास्थिति विशेष न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा या उस क्षेत्र में यदि एक से अधिक न्यायाधीश है, तो उस न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा जैसा कि केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे

(3) किसी मामले के विचारण के दौरान, विशेष न्यायाधीश द्वारा धारा 3 में विनिर्दिष्ट अपराधों के अतिरिक्त ऐसे अपराधों की सुनवाई भी कर सकेगा जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं.2) के अधीन उस अभियुक्त पर उस विचारण के साथ अधिरोपित किए जा सकते हैं

(4) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी अपराध के लिए विचारण, यथासाध्य रूप से दैनिक आधार पर किया जाएगा और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि उक्त विचारक दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरा कर दिया जाता है।"

18. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 22 यह प्रावधित करती हैं कि इस अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराधों से सम्बन्धित कार्यवाहियों में कुछ उपान्तरणों के साथ दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू होंगे इसलिये यह बखूबी रोशन है कि कुछ उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के विचारण में भी लागू किये जाने हैं।

19. एक ही संव्यवहार के दौरान कार्यों की परस्पर जुड़ी श्रृंखला में जहां एकाधिक अपराध कारित हुए हों, धारा 220 दण्ड प्रक्रिया संहिता एेसे एकाधिक अपराधों के विचारण से सम्बन्ध रखती हैं आैर इसमें निम्नानुसार प्रावधित हैः-

"220.एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण-

(1) यदि परस्पर संबद्ध ऐसे कार्यों के, जिनसे एक ही संव्यवहार बनता है, एक क्रम में एक से अधिक अपराध एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए हैं तो ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है।

(2) जब धारा 212 की उपधारा (2) में या धारा 219 की उपधारा (1) में उपबंधित रूप में, आपराधिक न्यासभंग या बेईमानी से संपत्ति के

दुर्विनियोग के एक या अधिक अपराधों से आरोपित किसी व्यक्ति पर उस अपराध या अपराधों के किए जाने को सुकर बनाने या छिपाने के प्रयोजन से लेखाओं के मिथ्याकरण के एक या अधिक अपराधों का अभियोग है, तब उस पर ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है ।

(3) यदि अभिकथित कार्यों से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की, जिससे अपराध परिभाषित या दण्डनीय हो, दो या अधिक पृथक् परिभाषाओं में आने वाले अपराध बनते हैं तो जिस व्यक्ति पर उन्हें करने का अभियोग है उस पर ऐसे अपराधों में से प्रत्येक के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है।

(4) यदि कई कार्य, जिनमें से एक से या एक से अधिक से स्वयं अपराध बनते हैं, मिलकर भिन्न अपराध बनते हैं तो ऐसे कार्यों से मिलकर बने अपराध के लिए और ऐसे कार्यों में से किसी एक या अधिक द्वारा बने किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति पर एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है।

(5) इस धारा की कोई बात भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 71 पर प्रभाव न डालेगी।"

20. धारा 223 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार एक ही संव्यवहार में

भिन्न भिन्न अपराधों को कारित करने के अभियुक्तों का संयुक्त विचारण किया जा सकता है, जो धारा निम्नानुसार हैः-

"223.किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा-

निम्नलिखित व्यक्तियों पर एक साथ आरोप लगाया जा सकेगा और उनका एक साथ विचारण किया जा सकेगा, अर्थात् :-

(क) वे व्यक्ति जिन पर एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए एक ही अपराध का अभियोग है;

(ख) वे व्यक्ति जिन पर किसी अपराध का अभियोग है और वे व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है;

(ग) *********

(घ) वे व्यक्ति जिन पर एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए भिन्न अपराधों का अभियोग है;

(ङ) *********

(च)*********

(छ)*********

परन्तु जहाँ अनेक व्यक्तियों पर पृथक् अपराधों का आरोप लगाया जाता है और वे व्यक्ति इस धारा में विनिर्दिष्ट कोटियों में से किसी में नहीं आते हैं वहाँ [मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय] ऐसे सब व्यक्तियों का विचारण एक साथ कर सकता है यदि ऐसे व्यक्ति लिखित आवेदन द्वारा ऐसा चाहते हैं और यदि मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उससे ऐसे व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसा करना समीचीन है।"

21. दिनांक 12 दिसम्बर 2011 को प्रथम सूचना रिपोर्ट RC DAI 2009 A 0045 दिनांक 21 अक्टूबर 2009 में पेश पूरक आरोप पत्र में याचीगण और कुछ अन्य के विरूद्ध निम्नानुसार अभिकथन किये गयेः

"अभिकथन

1.दिनांक- 21.10.2009 को सी.बी.आई.ने भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के अज्ञात कर्मचारियों, अज्ञात निजी व्यक्तियों/कम्पनियों व अन्य के विरूद्ध धारा 120 बी भारतीय दण्ड संहिता से सपठित धारा 13(2) सपठित 13(1)(d) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या RC DAI 2009 A 0045 दूरसंचार विभाग द्वारा लेटर्स आॅफ

इन्टेंट,युनाईटेड एक्सेस सर्विस (यूएएस)अनुज्ञाओ तथा स्पेक्ट्रम में आपराधिक षडयंत्र और आपराधिक दूराचार करने के आरोपों के आधार पर पंजीकृत की। मामले में अनुसंधान किया और दिनांक 02.04.2011 को आरोप पत्र, दिनांक 25.04.2011 को प्रथम पूरक आरोप पत्र माननीय विशेष न्यायाधीश (2 जी स्पेक्ट्रम मामलात) पटियाला हाउस अदालत नई दिल्ली में पेश किया जो जैर विचारण है अौर इस समय अभियोजन की साक्ष्य के प्रक्रम पर लम्बित है।

xxx xxx xxx xxx xxx

3. जिन कम्पनियों को दूरसंचार विभाग ने 10.01.2008 को लेटर्स आफ इन्टेंट (एलओआई) बांटे उन सब की अहेर्ताओ की अनुसंधान के दौरान सी.बी.आई. ने जांच की। ऐसे अनुसंधान में जाहिर आया कि मैसर्स लूप टेलीकॉम लिमिटेड जिसने कि सितम्बर 2007 में 21 दूरसंचार वृतों में यूएस अनुज्ञा पत्रों के लिये आवेदन किया था वह मैसर्स एस्सार ग्रुप की ही अग्रणी कम्पनी थी। मुम्बई सेवा क्षैत्र में 2005 से ही मैसर्स लूप माेबाईल इण्डिया लिमिटेड एक यू ए एस अनुज्ञा काम में ले रही थी। यह कहा गया था कि मैसर्स एस्सार ग्रुप, जिसका 22 दूरसंचार वृतों में दूरसंचार सम्भालने वाली मैसर्स वोडाफोन एस्सार लिमिटेड में पहले से ही तेंतीस फीसदी भागीदार थी, वही इन दो कम्पनियों की भी सारभूत भागीदार नियंत्रक थी,

जो यू ए एस गाईड लाईन्स दिनांक 14.12.2005 का आैर दूरसंचार विभाग के साथ मैसर्स वोडाफोन एस्सार ने जो समझौता हस्ताक्षरित किया था उनका उल्लंघन था। आगे, यह भी कहा गया है कि मैसर्स लूप टेलीकॉम लिमिटेड,मैसर्स लूप मोबाईल इण्डिया लिमिटेड आैर कम्पनियों के एस्सार ग्रुप के ये जो अभियुक्त व्यक्ति है इन्होने छलपूर्वक एस्सार कम्पनी समूह के साथ इन दो लूप कम्पनियों के संगठन का तथ्य छुपाकर, नये दूरसंचार विभागीय अनुज्ञाआेंं के लिये आवेदन किया ताकि दूरसंचार विभाग इन कम्पनियों को सारभूत रूप से एस्सार ग्रुप द्वारा नियंत्रित न समझ कर अलग समझें। इस प्रकार जो नये 21 यू ए एस अनुज्ञा पत्र इन अभियुक्त व्यक्तियों ने प्राप्त किये और लूप का मुम्बई लाईसेंस प्रयोग करना जारी रखा वह छलपूर्ण धोखा तथा प्रवर्तननीय दिशा निर्देशों का उल्लंघन हैं।

4. इन अभिकथनों पर भी अनुसंधान किया गया है कि मैसर्स लूप टेलीकॉम लिमिटेड और उससे जुडे लोगों, जिनमें एस्सार ग्रुप के लोग और कम्पनियां भी सम्मिलित है, ने 21 नये यू ए एस अनुज्ञा पत्रों की प्राप्ति के लिये आवेदन करते समय यह तथ्य छुपाकर कि निगमित आवरण के पीछे मैसर्स लूप टेलीकॉम लिमिटेड के वास्तविक हिस्सेदार कौन है, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग से छल किया और इस कम्पनी के लिये मूल्यवान स्पेक्ट्रम हांसिल किये।"

मामले की पृष्ठभूमि से ये भी तथ्य प्रकट होते हैः

"70.अभियुक्तगण दूरसंचार विभाग को छल चुके और धोखे से, अपने बीच हुए षड़यंत्र के अग्रसरण में लेटर्स ऑफ इन्टेंट/यू ए एस लाईसेंसेज/मूल्यांकन स्पेक्ट्रम हांसिल करने में कामयाब हो गये। उसके बाद वर्ष 2008-2010 के बीच दूरसंचार विभाग में कई शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें यह कहा गया कि मैसर्स लूप टेलीकॉम लिमिटेड निगमन आवरण तले एक एस्सार ग्रुप कम्पनी है और तद्द्वारा दिनांक 14.12.2005 की यू ए एस एल दिशा निर्देश के खण्ड 8 का उल्लंघन कर रही है। ऐसा एक मामला दूरसंचार विभाग ने निगमन मामलात मंत्रालय को इस जांच और खुलासे के लिये भेजा कि क्या इन तथ्यों और परिस्थितियों में यू ए एस एल गाईड लाईन्स के खण्ड 8 के उल्लंघन का मामला बनता है या नहीं। अनुसंधान में पाया कि उपनिदेशक (निरीक्षण) निगमन मामलात मंत्रालय जिसने कि विस्तार से मामले का परीक्षण किया था, यह निष्कर्ष निकाला कि खण्ड 8 यू ए एस एल गाईड लाईन्स का उल्लंघन हुआ है।

71. इस प्रकार, अनुसंधान में यह पाया गया कि 21 वृतों के लिये 03.09.2007 को मैसर्स लूप टेलीकॉम लिमिटेड ने धोखेबाजी से यू ए एस एल आवेदन यह मिथ्याख्यापन करते हुए पेश किये कि ये यू ए एस एल दिशा निर्देशों के खण्ड 8 सहित सभी अर्हताओ को पूरा करते है। धोखाधडी पूर्ण इन आवेदनों के साथ यह मिथ्या प्रमाण पत्र भी दिया था कि खण्ड 8, यू ए एस एल दिशा निर्देश में विहित सभी शर्तें कम्पनी पूरा करती है और

इस प्रकार यह झूंठा दावा किया कि आवेदक कम्पनी किसी विद्यमान अनुज्ञा के प्रभाव में नहीं है और कि आवेदित लाईसेंस यदि इसे मिला तो प्रतिस्पर्धा से समझौता नहीं किया जायगा।.....।

72. पूर्वोक्त तथ्य परिस्थितियां वर्ष 2007-08 के दौरान धारा 120बी सपठित 420 भारतीय दण्ड संहिता आैर सारभूत 420 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध अभियुक्तगण रवि एन रूईया,अंशुमान रूईया, विकास सर्राफ, आई.पी. खेतान, कुमारी किरन खेतान, मैसर्स लूप टेलीकाम लिमिटेड (तत्कालीन मेसर्स शिपिंगस्टाॅप डाॅट काॅम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड), मैसर्स लूप मोबाईल इण्डिया लिमिटेड (बीपीएल मैसर्स मोबाईल कम्यूनीकेशन्स लिमिटेड) आैर मैसर्स टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा कारित किया जाना प्रकट करते है। अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया है। "

उक्त द्वितीय पूरक आरोप पत्र से यह स्पष्ट है कि याचीगण के द्वारा 2जी घोटाला मामले के अनुक्रम में अपराध कारित करना बताया जा रहा है। इस कारण इन्हें 2जी घोटाला मामले में अभियुक्त बनाया है।स्वीकृत रूपेण, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में आरोपित 2जी घोटाला मामले के सहअभियुक्त का केवल विशेष न्यायाधीश ही विचारण कर सकता है। याचीगण उक्त 2जी घोटाला मामले में अभियुक्त है। इस सूरत में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 220 लागू होगी और याचीगण जो यद्यपि भिन्न अपराधों, यथा धारा 420/120 बी भारतीय दंड संहिता के अभियुक्त है, जो

2 जी स्पेक्ट्रम संव्यवहारों के दौरान कारित होना कहा गया है, वे धारा 223 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 2 जी घोटाला मामले के सह अभियुक्तों के साथ आरोपित और विचारित किये जा सकते हैं।

22. *ए.आर. अन्तुले बनाम रामदास नायक (1984) 2 सुप्रीम कोर्ट केस 500* में इस अदालत के सामने यह प्रश्न आया कि क्या कतिपय प्रयोजनों से विशेष न्यायाधीश का न्यायालय मजिस्ट्रेट का न्यायालय या सत्र न्यायालय है अथवा नहीं और निम्नानुसार अवधारित हुआः

> "23. लोक सेवकों द्वारा कारित अपराधो का विशेष न्यायाधीश द्वारा प्रसंज्ञान लेने के मसले में, एक बार जैसे ही धारा 5 ए रास्ते से हटी, वैसे ही, केवल एक परिसीमा के साथ विशेष न्यायाधीश को मिली हुई मूल क्षैत्राधिकार के न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान के ज्ञात तरीकों में से किसी एक रीति से ऐसे प्रसंज्ञान की शक्ति, स्वतः अप्रतिहत हो जाती है। सक्षम न्यायालय द्वारा अपराध के प्रसंज्ञान का एक ऐसा प्रख्यात तरीका, अपराध गठित करने वाले तथ्यों का समावेश करने वाला परिवाद प्राप्त होना है और, धारा 8(1) यह कहती है कि विशेष न्यायाधीश को धारा 6(1)(a) व (b) में गिनाये गये अपराधों के प्रसंज्ञान की शक्ति है। प्रसंज्ञान का जो तरीका अपवर्जित किया वह केवल उपार्पण

के प्रावधान का है। इसका अर्थ यह निकलता है कि अपराध गठित करने वाले तथ्यों का परिवाद प्राप्त होने पर लोक सेवक के विरूद्ध विशेष न्यायाधीश ऐसे अपराधों का प्रसंज्ञान ले सकता है।

28. 1952 के अधिनियम की धारा 9 ऐसे में समानरूपेण सहायक है। एक बार जैसे ही विशेष न्यायाधीश का न्यायालय, सत्र न्यायालय हुआ, यह प्रावधान करना जरूरी हो गया कि क्या यह उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है, क्या इसके आदेशों व निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील व पुनरीक्षण की जा सकेगी और क्या जैसा धारा 6 दण्ड प्रक्रिया संहिता में संगठित अदालतों बाबत है, वैसे इस अदालत पर उच्च न्यायालय का सामान्य अधीक्षण रहेगा या नहीं। स्वतंत्र संविधि द्वारा जैसे ही विशेष न्यायाधीश का न्यायालय गठित हुआ वैसे ही वह उच्च न्यायालय के अधीन मूल दांडिक क्षैत्राधिकार संपन्न न्यायालय हो जाता है क्योंकि धारा 9 उच्च न्यायालय में वे सभी शक्तियां निहित करती है जो दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 के अध्याय 21 और 23 द्वारा उच्च न्यायालय को प्राप्त है और यह जूरी के बिना, उच्च न्यायालय के क्षैत्राधिकार की

स्थानीय सीमा में, मामलों का विचारण करने वाला सत्र न्यायालय जैसा समझा जाता है। इसलिये यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि नाम, पदाभिधान, पीठासीन अधिकारी होने के लिये योग्यता, विशिष्ठ शक्तियां, विनिर्दिष्ट प्रक्रिया जो अपनाई जायगी इन्हें विहित करते हुए 1952 अधिनियम के तहत एक नया दाण्डिक न्यायालय खोला गया है। यह मूल दांडिक क्षैत्राधिकार वाले न्यायालयवत व्यवहार्य है और विशेष रूप से अपवर्जित को छोड़ कर दण्ड प्रक्रिया संहिता में उपलब्ध सभी शक्तियों से संपन्न मूल दांडिक क्षैत्राधिकार का न्यायालय माना जायगा।

29. जैसे ही एक बार उच्च न्यायालय की अधीनस्थतता में विशेष न्यायाधीश के न्यायालय की प्रास्थिति और शक्तियां स्पष्ट तौर पर स्थापित हो गई तब बड़ी तादाद वाले उन फैसलों की जांच में भटकना अनावश्यक है जो प्रत्येक अपने विशेष संदर्भ में विशेष न्यायालय के सत्र न्यायालय होने या न होने की समीक्षा करते है और कुछ में विशेष न्यायालय सत्र न्यायालय माना कुछ में भिन्न अभिमत व्यक्त हुआ। उन निर्णयों का संदर्भ देना किसी उपयोगी प्रयोजन के बिना मात्र निर्णय की लंबाई

को बढ़ाना ही होगा।"

23. *गांगुल अशोक बनाम आंध्रप्रदेश राज्य (2000) 2 सुप्रीम कोर्ट केस 504* मामले में धारा 193 दण्ड प्रक्रिया संहिता पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने यह उल्लेख किया:

"10. संहिता की धारा 193 उक्त कथित पृष्ठभूमि में समझनी होगी। मूल क्षैत्राधिकार की अदालत की भांति प्रसंज्ञान लेने के विषय में यह धारा सभी सत्र न्यायालयों पर अन्तःरोध लगाती है। यह तभी प्रसंज्ञान ले सकती है जब दंड प्रक्रिया संहिता में विहित है, वैसे एक मजिस्ट्रेट इसको प्रकरण उपार्पित करें। इस निषेध के अपवाद के रूप में धारा 193 में दो अंश संकेतित है। प्रथमः तो तब जब संहिता स्वयं अभिव्यक्त रूप से ऐसा कहीं अभिव्यक्त करे और द्वितीय, कोई अन्य विधि अभिव्यक्त भाषा में भिन्नतः इस विधि के तहत प्रसंज्ञान बाबत ऐसा विहित करता हो। "अभिव्यक्ततः" अभिव्यक्ति का प्रयोग धारा 193 में अपवाद उल्लेखित करते समय इस विधायी मंशा को व्यक्त करता है कि जब स्पष्ट और गैरगोलमाल शब्दों में अन्यथा अभिव्यक्त उपबंधित हो केवल तब ही सत्र न्यायालय इस धारा के जरिये लगाये अन्तःरोध से हट सकती है। दूसरे शब्दों में, जब तक सकारात्मक और विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित न हो, कोई सत्र न्यायालय सीधे किसी अपराध का प्रसंज्ञान नहीं लेगी जब तक कि मामला इसको एक मजिस्ट्रेट द्वारा उपार्पित नहीं कर दिया गया हो।

11. न तो संहिता में न अधिनियम में कोई किसी प्रकार का ऐसा प्रावधान है, यहां तक कि विवक्षा से भी नहीं है कि जिसमें विनिर्दिष्ट सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय) उसे मामले का उर्पापण बिना हुए, मूल क्षैत्राधिकार के न्यायालय की भांति अपराध का प्रसंज्ञान ले सकता हो। ऐसा है तब यह सोचने का कोई आधार ही नहीं है कि किसी अपराध के विषय में ऐसे न्यायालय में सीधे परिवाद या आरोप पत्र पेश किया जा सकता हो। दाण्डिक न्यायालयों की अधीनस्थता संबंधी स्थिति से यह जाना जा सकता है कि सत्र न्यायालय को उच्चतर और विशेष स्तर दिया गया है। इसलिये हम सोचते है कि सोच समझ कर विधायिका ने आरंभिक औपचारिकताओं के कार्य से सत्र न्यायालय को मुक्त रखा जिनको मामला उपार्पित करने तक मजिस्ट्रेट द्वारा संपन्न करना होता है।

12. कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये कुछ फैसलों में हमने देखा है कि संहिता की धारा 4 व 5 के आधार पर यह सुझाते हुए तर्क किया गया कि विशेष संविधियों के मामले में धारा 193 दण्ड प्रक्रिया संहिता की अनदेखी की जा सकती है। धारा 4 में दो उपधाराएं है जिसमें से प्रथम की कोई सुसंगति नहीं है क्योंकि वह केवल भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के विषयक है। तथापि, उपधारा (2) अन्य विधियों के अंतर्गत अपराधों को विषय करती है अतएव देखी जा सकती हैं। धारा 4 की उपधारा 2 नीचे दी जा रही है।

"4 (2) किसी अन्य विधि के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच , विचारण आैर उनके सम्बन्ध में अन्य कार्यवाही इन्हीं उपबन्धों के अनुसार किन्तु एेसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही की रीति या स्थान का विनियमन करने वाली तत्समय प्रवृत किसी अधिनियमिति के अधीन रहते हुए, की जाएगी।"

24. ऐसा ही प्रश्न *विवेक गुप्ता बनाम सी.बी.आई. (2003) 8 सुप्रीम कोर्ट केस 628* में विचार के लिये इस न्यायालय के सामने आया। उस मामले में सहअभियुक्तों पर विशेष न्यायाधीश ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाये पर इस न्यायालय के सामने जो याची था उस पर केवल धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता और धारा 120 बी भारतीय दंड संहिता का आरोप लगाया था जैसा कि मौजूदा मामले में है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और दण्ड प्रक्रिया संहिता के जिन प्रावधानों को हमने संदर्भित किया उन्हें विचार में लेने के उपरांत इस न्यायालय ने इस प्रकार अवधारित किया:

"15. ऐसा इसलिये कि अपीलार्थी के सहअभियुक्त, जिन पर अधिनियम की धारा 3 में विनिर्दिष्ट अपराधों का आरोप भी लगाया गया है, उनका विशेष न्यायाधीश द्वारा ही विचारण किया जाना है जो संहिता की

धारा 4 की उपधारा (3) और धारा 220 के प्रावधानों को देखते हुए उनका धारा 120 बी से सपठित धारा 420 के लिये भी विचारण कर सकता है। अपीलार्थी सहित तीनों अभियुक्तों पर धारा 120 बी सपठित धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप लगाया जा चुका है। यदि विशेष न्यायाधीश को सहअभियुक्त का धारा 120 बी सपठित धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिये विचारण का अधिकार है तो धारा 223 के प्रावधान आकृष्ट हो जाते हैं। इसके परिणामतः अपीलार्थी, जो उसी संव्यवहार के दौरान उसी अपराध को करने का अारोपित है, भी उनके साथ विचारित किया जा सकता है। अन्यथा यह विचित्र स्थिति हो जायगी कि उस अपराध को करने के कुछ षड़यंत्रकारी तो विशेष न्यायालय में विचारित हो सकेंगे और शेष षड़यंत्रकारी, जिन पर वही आरोप है, उनका विचारण अन्य न्यायालय को महज इस कारण करना पड़ेगा कि उन शेष के विरूद्ध धारा 3 में वर्णित किसी अपराध का आरोप नहीं लगा है।

17. इसलिये हमारा मत हैं कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, विशेष न्यायाधीश को उन

सहअभियुक्तों का विचारण करते समय, जिन पर कि इस अधिनियम के तहत और इसके अलावा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 बी सपठित 420 के तहत भी आरोप है, धारा 223 दण्ड प्रक्रिया संहिता के सिद्धांत को लागू करते हुए, अपीलार्थी को भी धारा 420 सपठित धारा 120 बी के तहत दण्डनीय अपराध के लिये विचारित करने का क्षैत्राधिकार है। इसलिये उच्च न्यायालय के निष्कर्ष की हम पुष्टि करते हुए, अपील को खारीज करते है। "

25. स्वीकृत रूप से, धारा 4(1) को देखते हुए 2 जी घोटाला मामले के जिन अभियुक्तों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का आरोप है उनका विशेष न्यायाधीश ही विचारण कर सकता है। केवल विशेष न्यायाधीश ही धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराध और उनके संबंध में षड़यंत्र का प्रसंज्ञान ले सकता है। धारा 4 की उपधारा (3) को देखते हुए, ऐसे मामले का विचारण करने वाला विशेष न्यायाधीश धारा 3 की उपधारा (1) में वर्णित श्रेणी में न आने वाले अपराध का विचारण भी कर सकता है। एक मजिस्ट्रेट धारा 3(1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मे विनिर्दिष्ट अपराध का प्रसंज्ञान नहीं ले सकता है। इस पृष्ठभूमि में, यह देखते हुए कि याची 2 जी घोटाला मामले में पेश द्वितीय पूरक आरोप पत्र में बतौर सहअभियुक्त सामने आये है, विशेष न्यायाधीश

धारा 120 बी और धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराधों का प्रसंज्ञान ले सकता है।

26. एन.सी.टी. दिल्ली द्वारा दिनांक 28.3.2011 को जारी अधिसूचना और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.3.2011 को पारित प्रशासनिक आदेश की वैधता के प्रश्न पर हमारा अवधारण इस प्रकार है :

(i) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) की शक्तियों के प्रयोग में राजकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार, ऐसे क्षैत्र या क्षैत्रों तथा ऐसे मामले या मामलों के समूह के लिये उतने जितने की आवश्यकता हो और अधिसूचना में वर्णित हो, विशेष न्यायाधीश (न्यायाधीशों) की नियुक्ति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दण्डनीय मामलात के विचारण के लिये कर सकेगी। प्रस्तुत मामले में, स्वीकृत रूप से सहअभियुक्तों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप लगा है और ऐसा अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन दंडनीय है, दिल्ली की एन.सी.टी. के क्षैत्राधिकार में यह भली भांति है कि अधिसूचना (ओं) द्वारा 2 जी घोटाला मामला (मामलों) के विचारण के लिये विशेष न्यायाधीश (शों) की नियुक्ति अधिसूचित करें।

(ii) जहां किसी व्यक्ति की विशेष न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति करने या उनका किसी विशेष न्यायालय में पदस्थापन करने का प्रश्न अन्तर्वलित हो वहां संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 आकृष्ट होते हैं।

उच्च न्यायालय का यह नियंत्रण व्यापक, अनन्य और प्रभावशाली है जो संविधान के मूल स्वरूप "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" को पूरा करने में सहायक है। (*देखें हाईकोर्ट आफ जुडीकेचर फा◌ॅर राजस्थान बनाम रमेश चंद्र पालीवाल (1998) 3 SCC 72 और रजिस्ट्रार (प्रशासन) उड़ीसा उच्च न्यायालय बनाम शिशिरकान्त सतपथी (1999) 7 सुप्रीम कोर्ट केस 725*) संविधान के अनुच्छेद 233 के अधीन, राज्य के जिला न्यायाधीश की नियुक्ति पदोन्नति पदस्थापन का अधिकार राज्यपाल को है जिसे उच्च न्यायालय के परामर्श से ही प्रयोग किया जा सकता है। इसलिये यह भलीभांति उच्च न्यायालय के अधिकार क्षैत्र में हैं कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति और पदस्थापन के लिये जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारी (यों) को नामित करें।

(iii) प्रस्तुत मामले में याचीगण ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एन.सी.टी. दिल्ली को भेजे गये नामांकन को चुनौति नहीं दी है। उन्होंने दिनांक 15 मार्च 2011 के उस पत्र को चुनौति दी है कि जो दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने जिला न्यायाधीश -1- एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी न्यायालय दिल्ली तथा जिला न्यायाधीश संख्या 4- अपर सत्र न्यायाधीश प्रभारी, नई दिल्ली जिला पटियाला हाउस अदालत परिसर नई दिल्ली को लिखा, जिसके द्वारा अधिकारियों को उच्च न्यायालय

ने दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के एक अधिकारी श्री ओ पी सैनी का नामांकन 2 जी घोटाला मामलात के विशेष न्यायाधीश की हैसियत से करने की जानकारी दी थी।

27. प्रस्तुत प्रकरण में अभिलेख पर यह इंगित करने वाला कोई तथ्य नहीं है कि याचीगण को स्वच्छ विचारण उपलब्ध नहीं होगा और उन्हें न्याय की विफलता का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे किसी खतरे और न्याय की विफलता के अभाव में याचीगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लेने के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है।

11 अप्रेल 2011 को 2 जी घोटाला मामला इस अदालत ने लिया तब अन्य के अलावा इस अदालत ने निम्नानुसार उल्लेख किया:

> "ऐसे आधार पर कार्य करते हुए इस न्यायालय ने इस मामले के विचारण के लिये पृथक विशेष न्यायालय की स्थापना विषयक निर्देश दिये और ऐसे निर्देश के अनुसरण में विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए एक विशेष न्यायालय स्थापित किया गया।
>
> हम यह भी स्पष्ट करते है कि विशेष लोक अभियोजक अथवा उसके सहायक अधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में कोई आपत्ति या कार्यवाही रोकने की प्रार्थना या

विचारण की प्रगति में रूकावट की कोई प्रार्थना केवल इसी न्यायालय के समक्ष की जा सकेगी, और अन्य कोई न्यायालय ऐसी कोई प्रार्थना ग्रहण नहीं करेगा। दिन-प्रतिदन के आधार पर विचारण आगे बढ़ना चाहिये।

इस न्यायालय ने ये सभी हिदायतें संविधान के अनुच्छेद 136 सपठित 142 में प्रदत्त अपनी शक्तियों के प्रयोग में मामले के स्वच्छ अभियोजन संचालन के हित में दी है।"

28. पूर्वोक्त आदेश से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने आदेश पारित किया वह संविधान के अनुच्छेद 136 सपठित 142 के तहत स्वच्छ अभियोजन संचालन के हित में था।

29. *रूपा अस्भोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा व अन्य (2002) 4 SCC 388* में इस न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा, चाहे वह उस मामले में पक्षकार था या नहीं, इस न्यायालय द्वारा पारित किसी अंतिम निर्णय या आदेश को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका द्वारा चुनौति नहीं नहीं दी जा सकती है। इस कारण भी, याचीगण को परोक्ष रूप से,इस न्यायालय द्वारा 2 जी घोटाला मामले में पारित आदेश को चुनोति देने की छूट उपलब्ध नहीं है।

30. इन रिट याचिकाओं में हम कोई सार नहीं पाते अतएव इन्हें खारीज किया जाता है। विशेष न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि विचारण के शीघ्र निस्तारण के लिये वे इस मामले की दिन प्रतिदिन सुनवाई करेंगे। व्यय विषयक कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

महेन्द्रसिंह सिसोदिया रिट याचिकाएं खारीज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी महेन्द्रसिंह सिसोदिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।